LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Monday, August 11, 2025 / Sravana 20, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, August 11, 2025 / Sravana 20, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **1 – 30**
(S.Q. NO. 301 – 305)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS **31 – 50**
(S.Q. NO. 306 – 320)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS **51 – 280**
(U.S.Q. NO. 3451 – 3680)

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, August 11, 2025 / Sravana 20, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, August 11, 2025 / Sravana 20, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 94

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS 294
8th Report

STANDING COMMITTEE ON FINANCE 295
25th Report

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS 295
4th and 5th Reports

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES 295 - 96
6th to 9th Reports

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ 296
18th and 19th Reports

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 296
9th to 11th Reports

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS 297
362nd Report

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 46TH, 59TH AND 66TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON FINANCE – LAID 297 - 98
Shri Arjun Ram Meghwal

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 3RD AND 10TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON FINANCE – LAID 298

Shri Harsh Malhotra

BILLS INTRODUCED 299

(i) Income – Tax (No.2) Bill

(ii) Taxation Laws (Amendment) Bill

(iii) Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 300 - 14

Captain Brijesh Chowta 300

Shri Sukanta Kumar Panigrahi 300

Shri Arun Govil 301

Shri Ravindra Shukla *Alias* Ravi Kishan 301

Shri Dharambir Singh 302

Shri Ramesh Awasthi 302

Shri Lumbaram Choudhary 303

Shri Rajkumar Chahar 303

Shri Rudra Narayan Pany 304

Shrimati D. K. Aruna 304

Shri Manish Jaiswal 305

Shri P.C. Mohan 305

Shri G. Kumar Naik 306

Shri Shyamkumar Daulat Barve 306

Shri Kodikunnil Suresh 307

Shri B. Manickam Tagore 307

Sushri Iqra Choudhary 308

Shri Rajeev Rai	**308**
Shri Kirti Azad	**309**
Shrimati June Maliah	**309**
Shri C. N. Annadurai	**310**
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	**310**
Dr. Alok Kumar Suman	**311**
Shri Rajabhau Parag Prakash Waje	**311**
Dr. Amol Ramsing Kolhe	**312**
Shri Maddila Gurumoorthy	**312**
Shri E.T. Mohammed Basheer	**313**
Adv. K. Francis George	**314**
(i) NATIONAL SPORTS GOVERNANCE BILL AND (ii) NATIONAL ANTI – DOPING (AMENDMENT) BILL	**315 - 28**
Motions for Consideration	**315**
Dr. Mansukh Mandaviya	**315 - 18 & 323**
Shri Kesineni Sivanath	**319 - 20**
Shri Ganesh Singh	**321 - 22**
(i) Motion for Consideration – Adopted	**324**
Consideration of Clauses	**324 - 27**
Motion to Pass	**327**
(ii) Motion for Consideration – Adopted	**328**
Consideration of Clauses	**328**
Motion to Pass	**328**

INCOME – TAX (NO. 2) BILL **329 - 30**

Motion for Consideration **329**

Shrimati Nirmala Sitharaman **329**

Motion for Consideration – Adopted **329**

Consideration of Clauses **329 - 30**

Motion to Pass **330**

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL **331**

Motion for Consideration **331**

Shrimati Nirmala Sitharaman **331**

Motion for Consideration – Adopted **331**

Consideration of Clauses **331**

Motion to Pass **331**

MESSAGES FROM RAJYA SABHA **332**

(1100/IND/GTJ)

(प्रश्न 301)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल**,** प्रश्न संख्या 301.

डॉ. बायरेड्डी शबरी।

… (व्यवधान)

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Sir, in my constituency, the Rollapadu Wildlife Sanctuary was established in 1988. The sole reason is to protect the Great Indian Bustard bird which is an endangered species and it is a Schedule-I species. … (*Interruptions*) Although 140 species are there globally, not a single species was sighted in Rollapadu Wildlife Sanctuary. … (*Interruptions*)

Sir, I would like to ask the hon. Minister through you whether this project can be taken up on priority basis under the Integrated Development of Wildlife Habitats Scheme. … (*Interruptions*) Also like in Rajasthan how we have created the breeding spots naturally, can the breeding and conservation areas be provided in the Rollapadu Wildlife Sanctuary? Thank you, Sir. … (*Interruptions*)

1101 बजे

(इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, श्री अभय कुमार सिन्हा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्डलाइफ हैबिटेट्स केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की गई स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत हम राज्यों के साथ उनके शेयर के आधार पर इस स्कीम को आगे चलाने का काम करते हैं।… (व्यवधान) इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के अंतर्गत हम लोग इको डेवलेपमेंट एक्टिविटी और ह्यूमन-वाइल्डलाइफ के कांसेप्ट के साथ-साथ जो स्पीसीज हैं उनके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के काम की तरफ भी ध्यान देते हैं।… (व्यवधान)

माननीय सदस्य महोदया ने विशेषकर एनडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पूछा है, ऐसी और भी स्पीसीज हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं। भारत सरकार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पूरी तरह से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।… (व्यवधान) अभी इसका कार्य राजस्थान में किया जा रहा है और वही कार्य अब हम लोग कर रहे हैं और हैबिटेट्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं।… (व्यवधान) आंध्र प्रदेश से यदि कोई स्पेशल प्लान हमारे लिए आएगा तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार उस पर काम करेगी।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछें।

… (व्यवधान)

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Sir, under the 'Integrated Development of Wildlife Habitats', from 2021-24, Rs. 243 crore have been sanctioned to the States, but the State of Andhra Pradesh has not been sanctioned anything, maybe because of the negligence of the previous Government. … (*Interruptions*)

Sir, I would like to ask the hon. Minister, through you, whether the financial assistance can be given to the State of Andhra Pradesh on emergency basis as we have major wildlife sanctuaries in our State. Thank you, Sir. … (*Interruptions*)

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्या ने बताया कि प्रीवियस सरकार की नेग्लीजेंसी थी। वे अपनी प्रदेश सरकार से बात करें। हम केवल राज्यों से जो ए.पी.ओ. आते हैं, उन्हीं के आधार पर सैंक्शन करते हैं। अभी राज्य सरकार का प्रस्ताव आना अपेक्षित है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

श्री अनूप संजय धोत्रे – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

श्री रुद्र नारायण पाणी।

… (व्यवधान)

(1105/KDS/RCP)

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं जिस इलाके से आता हूं वहां पर हाथियों का काफी उपद्रव है… (व्यवधान) मैंने माननीय मंत्री से इस विषय पर बात की है। … (व्यवधान) मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र धेन्कानल है, जिसमें अंगुल और जिला धेन्कानल आता है। … (व्यवधान) वहां पर हाथियों का उपद्रव बहुत ज्यादा है। मैंने माननीय मंत्री जी से इस संबंध में निवेदन भी किया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हिन्दोल ब्लॉक के एक गांव में तीन व्यक्तियों को हाथी ने मार दिया है। मैंने इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है। … (व्यवधान) इस प्रकार की जिन योजनाओं पर चर्चा होती है, क्या माननीय मंत्री जी ओडिशा की राज्य सरकार से बात करके हमारे इलाके में इस प्रकार की योजना को और कारगर ढंग से लागू करेंगे? … (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग प्रोजेक्ट एलीफेंट पर काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पूरे देश में एलीफेंट रिज़र्व डिक्लेयर करने का काम कर रहे हैं। … (व्यवधान) एलीफेंट रिज़र्व के लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट के एक्जीक्यूशन हेतु भी हम काम कर रहे हैं। … (व्यवधान) हाथियों के जो कॉरिडोर्स हैं, उनके एटलस तैयार करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम उनका सेंसस भी कर रहे हैं। इसके साथ ही मैन-एनिमल कॉन्फलिक्ट न हो, इसके लिए हमने एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की है। एलीफेंट्स का रेलवे से किसी प्रकार का एक्सिडेंट न हो, इसके लिए भी हमने रेलवे के साथ मिलकर कार्य करना तय किया है। … (व्यवधान) हम चाहते हैं कि हमने जो एसओपी तैयार की है, राज्य सरकारें इनको गंभीरता के साथ लागू करें। … (व्यवधान) हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में प्रोजेक्ट एलीफेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। … (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 302)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 302, माननीय सदस्य, श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा।

… (व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा-पटल पर रखा है। … (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 303)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 303, माननीय सदस्य, डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी जी।

… (व्यवधान)

श्रम और रोजगार मंत्री; तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) : अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा-पटल पर रखा है। … (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 304)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 304, श्री नवीन जिंदल जी।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा-पटल पर रखा है। … (व्यवधान)

श्री नवीन जिंदल (कुरुक्षेत्र) : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री को विस्तार से दिए जवाब और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। … (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने बताया कि नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 103 शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। … (व्यवधान) यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी समस्या गंभीर बनी हुई है, जिससे कि पूरे देश में हम सभी की आयु 5 वर्ष से 10 वर्ष तक घट रही है। … (व्यवधान) वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एयर पॉल्यूशन की वजह से भारत को लगभग 3 प्रतिशत जीडीपी का नुकसान होता है। … (व्यवधान) माननीय मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि इतने सरकारी प्रयासों के बावजूद भी जब समस्या गंभीर है, तो क्या सरकार जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस विषय पर जन-अभियान शुरू करने की पहल कर रही है, जिसमें हर प्रकार के पॉल्यूशन के खिलाफ जंग छेड़ी जाए, जिसमें ध्वनि प्रदूषण भी शामिल हो? … (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि ध्वनि प्रदूषण काफी बड़ी समस्या है और इसे लेकर पूरे देश में करीब 130 शहरों में इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। … (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या हम लोगों के प्रभावी योगदान के लिए भी कार्य कर रहे हैं? निश्चित रूप से हमने इन सभी शहरों में सिटी एक्शन प्लान रिवाइज़ किए हैं, ताकि जहां इस प्रकार का प्रदूषण बहुत ज्यादा है, वहां जन-भागीदारी के माध्यम ज्यादा मिटिगेशन एक्शन कर सकें। … (व्यवधान) इसके साथ ही साथ हम लोग 'मिशन लाइफ' की एक्टिविटी के अंतर्गत सेव वाटर, सेव फ्यूल, सेव एनर्जी के साथ-साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई-वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक और सबसे बड़ी बात हेल्थी लाइफ स्टाइल के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। … (व्यवधान) इसके साथ ही हम वर्ष में एक सप्ताह विशेष रूप से वायु प्रदूषण

के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हम उन म्यूनिस्पलिटियों को विशेष रूप से प्रोत्साहन पुरस्कार दे रहे हैं, जो जन-भागीदारी के माध्यम से प्रदूषण के जो विभिन्न आयाम हैं, चाहे व्हीकल प्रदूषण हो, इंडस्ट्रियल प्रदूषण हो और चाहे डस्ट प्रदूषण हो, उसमें नवाचार कर रहे हैं। उनको भी हम प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। NCAP के अंतर्गत सिटीज़ में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्टेप गैप अरेंजमेंट है, उसके लिए भी फंडिंग करने का काम हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर रहे हैं।

(1110/CS/HDK)

श्री नवीन जिंदल (कुरुक्षेत्र) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत विस्तार से मेरे प्रश्न का जवाब दिया है।... (व्यवधान)

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में यमुना मैया के पानी की गुणवत्ता विशेषकर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के मानकों पर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है।... (व्यवधान) आज भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का गैप एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।... (व्यवधान) जिसके कारण यमुना के अंदर अमोनिया का स्तर बढ़ता है और यमुना मैया को एक गंदे नाले की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।... (व्यवधान)

महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि 'नमामि गंगे' मिशन के अगले चरण में यमुना जी की सफाई और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए मंत्रालय की आगे की कार्यवाही, योजना क्या है और यमुना को निर्मल बनाने के हमारे साझा लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर और क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?... (व्यवधान) धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत गंभीर चिंता की ओर हम सबका ध्यान दिलाया है।... (व्यवधान) जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यमुना को लेकर एक विशेष योजना तैयार की जा रही है।... (व्यवधान) इसके साथ ही साथ सीवेज स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए वाटर एक्ट के अंतर्गत और जो शहरी आबादी है, उससे जो यमुना में प्रदूषण आता है, उसके लिए एसटीपी लगाने के लिए एक व्यापक योजना के लिए कार्य किया जा रहा है।... (व्यवधान) जल शक्ति मंत्रालय के साथ पर्यावरण मंत्रालय उसमें सहयोग कर रहा है।... (व्यवधान) धन्यवाद।

(इति)

(pp. 6-30)

(प्रश्न 305)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 305, श्री…..

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

डॉ. मनसुख मांडविया : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको 14 दिन हो गए हैं। आप सदन को नियोजित तरीके से बाधित कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : 14 दिन से आप सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। आपका व्यवहार लोकतंत्र की परम्पराओं के अनुरूप नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देश की जनता के करोड़ों रुपये सदन की कार्यवाही में खर्च होते हैं। आपको जनता ने यहाँ प्रश्न पूछने और मुद्दे उठाने के लिए भेजा है। अपनी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के लिए आपको भेजा है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जनता ने अपनी कठिनाईयों और चुनौतियों के लिए आपको यहाँ चुनकर भेजा है। सदन में नियोजित तरीके से शोरगुल करना, हंगामा करना, तख्तियाँ लहराना संसदीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : 14 दिन से आप इस तरीके का व्यवहार, आचरण कर रहे हैं। पूरा देश आपको देख रहा है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आपको नारेबाजी करनी है, तख्तियाँ लहरानी हैं, प्रदर्शन करना है तो आप सदन के बाहर कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यहाँ हर मुद्दे पर चर्चा होगी। सदन चर्चा, संवाद के लिए है। महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। आप अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बैठिए। आप सदन नहीं चलाने देना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देश की जनता यह सब देख रही है। मैं पुन: आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि सदन की कार्यवाही को चलने दें। मैं सभी माननीय सदस्यों को हर विषय पर पर्याप्त अवसर और पर्याप्त समय दूँगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया, आप लोग बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1114 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/MNS/PS)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1400 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1401 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदया, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) संरक्षित स्मारक "पुराने किले का द्वार, बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(दो) संरक्षित स्मारक "नादान महल" और "इब्राहिम चिश्ती का मकबरा" के नाम से ज्ञात मकबरा जो नादान महल के बिल्कुल निकट याहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(तीन) संरक्षित स्मारक "दंडेश्वर मंदिर, कोटली और गंधक गुंठ (चंडोक), तहसील भनोली, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखंड" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण

विरासत उपविधि, 2025।

(चार) संरक्षित स्मारक “सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 1733, 1734 और सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 1732 और 1735 के भाग में शामिल सटी भूमि सहित हंसेश्वरी और वासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, जिला- हुगली, पश्चिम बंगाल” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(पांच) संरक्षित स्मारक “विशाल चंदेल मंदिर के खंडहर जिसका गर्भगृह पूरी तरह से गायब हो गया है किन्तु मंडप के अवशेष और पुजारी का घर बचा हुआ है जो कि मंदिर संख्या - 238, रामनगर, तहसील - मऊ, जिला - चित्रकूट , उत्तर प्रदेश के निकट है” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(छह) संरक्षित स्मारक “मदनमोहन (मंदिर), बिष्णुपुर, जिला- बांकुरा, पश्चिम बंगाल” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(सात) संरक्षित स्मारक “टाउन हॉल उपनाम गांधी भवन, शिवपुरी, जिला - शिवपुरी, मध्य प्रदेश” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(आठ) संरक्षित स्मारक “ हरियाणा के सोनीपत तहसील में उत्तर-पश्चिमी रेलवे के निकट स्थित पुरानी मुगल कोस मीनारें” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(नौ) संरक्षित स्मारक “प्राचीन अवशेष, शैल उत्कीर्णन और शैव मंदिर, भोजपुर, जिला रायसेन, भोपाल, मध्य प्रदेश” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(दस) संरक्षित स्मारक “जोर बंगला (मंदिर), बिष्णुपुर, जिला - बांकुरा, पश्चिम बंगाल” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(ग्यारह) संरक्षित स्मारक “बिष्णुपुर, जिला - बांकुरा, पश्चिम बंगाल में दलमादल तोप और वह प्लैटफॉर्म जिस पर इसे स्थापित किया गया है " की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(बारह) संरक्षित स्मारक “राशमंचा, बिष्णुपुर, जिला - बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(तेरह) संरक्षित स्मारक “गढ़गांव राजमहल, जिला- शिवसागर, असम" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(चौदह) संरक्षित स्मारक “16 मंदिरों के अवशेष, आदिबद्री, जिला-गढ़वाल (जो कि अब चमोली में है), उत्तराखंड” की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(पंद्रह) संरक्षित स्मारक “परगना चांदपुर, चमोली, उत्तराखंड में चांदपुर किला,

इसकी दीवारों तथा इसके भीतर स्थित रिहाइशी मकानों के खंडहरों और खड़ी सीढ़ियों के अवशेष," की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(सोलह) संरक्षित स्मारक "बिष्णुपुर किले का छोटा प्रवेश द्वार, जिला - बांकुरा, पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(सत्रह) संरक्षित स्मारक "राधाश्याम मंदिर, बिष्णुपुर, जिला–बांकुरा, पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(अठारह) संरक्षित स्मारक "नंदलाल मंदिर, जोरा मंदिर, राधागोबिंद मंदिर, राधामाधव मंदिर और काला चंद मंदिर, बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(उन्नीस) संरक्षित स्मारक "सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 19/I के भाग में शामिल निकटवर्ती भूमि के साथ कालेश्वर मंदिर सहित अमलेश्वर उपनाम ममलेश्वर मंदिर समूह, गोदड़पुरा, जिला - खंडवा, मध्य प्रदेश " की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(बीस) संरक्षित स्मारक "सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 2800 और 2804, में शामिल निकटवर्ती भूमि के साथ अवन्तीस्वामी मंदिर,अवंतीपुरा क्षेत्र, तहसील-पुलवामा, जिला-अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(इक्कीस) संरक्षित स्मारक " तैली हाट, तहसील-गरूर, जिला- बागेश्वर, उत्तराखंड में स्थित इंडो-आर्यन सिखरा प्रकार के तीन मंदिर जिन्हें लक्ष्मी नारायण, राक्षस देवल और सत्य नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है " की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(बाईस) संरक्षित स्मारक " तैली हाट, तहसील-गरूर, जिला- बागेश्वर, उत्तराखंड में स्थित इंडो-आर्यन सिखरा प्रकार के तीन मंदिर जिन्हें लक्ष्मी नारायण, राक्षस देवल और सत्य नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है " की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(तेईस) संरक्षित स्मारक "सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 161 और 163 में शामिल निकटवर्ती भूमि सहित रुद्रनाथ मंदिर और एक लोहे का त्रिशूल जिसकी शाफ्ट 16 फीट ऊंची है, जिस पर एक प्राचीन और तीन आधुनिक शिलालेख हैं और जो एक सुंदर पुराने मंदिर के परिसर में स्थित है तथा जिसका पुनरूद्धार अमर सिन्हा थापा द्वारा कराया गया था, गोपेश्वर, जिला-चमोली, उत्तराखंड" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025 ।

(चौबीस) संरक्षित स्मारक "जफर खान गाजी की दरगाह, त्रिबेणी, जिला - हुगली,

पश्चिम बंगाल" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(पच्चीस) संरक्षित स्मारक "ग्वालियर, मध्य प्रदेश में मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा; और प्लॉट संख्या 200 में स्थित दो मस्जिदें, साथ ही प्लॉट संख्या 199 और 200 में शामिल पूरी भूमि जो कि एक चारदीवारी से घिरा हुआ है" की राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपविधि, 2025।

(3) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI JAYANT CHAUDHARY): Madam Chairperson, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajya Shiksha Kendra Madhya Pradesh (Shamagra Shiksha Abhiyan), Bhopal, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajya Shiksha Kendra Madhya Pradesh, (Samagra Shiksha Abhiyan), Bhopal, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in

laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the U.P. Education for all Project Board, (Samagra Shiksha, Uttar Pradesh), Lucknow, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the U.P. Education for all Project Board, (Samagra Shiksha, Uttar Pradesh), Lucknow, for the year 2023-2024.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha, Kerala, (STARS), Thiruvananthapuram, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha, Kerala, (STARS), Thiruvananthapuram, for the year 2023-2024.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajya Shiksha Kendra, School Education Department, Madhya Pradesh, (STARS), Bhopal, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajya Shiksha Kendra, School Education Department, Madhya Pradesh, (STARS), Bhopal, for the year 2022-2023.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Odisha School Education Programme Authority, (STARS Scheme), Bhubaneswar, for the years 2022-2023 and 2023-2024.

(ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Odisha School

Education Programme Authority, (STARS Scheme), Bhubaneswar, for the years 2022-2023 and 2023-2024.

(10) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gujarat Council of School Education, (Samagra Shiksha), Gandhinagar, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gujarat Council of School Education, (Samagra Shiksha), Gandhinagar, for the year 2023-2024.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Open Schooling, Noida, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Open Schooling, Noida, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Open Schooling, Noida, for the year 2022-2023.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदया, श्री पंकज चौधरी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 27 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/239 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 1 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/240 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेट निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/241 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/242 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/248 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों और प्रतिभूति रसीदों का निर्गम और सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/247 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) (संशोधन) विनियम, 2025 जो 20 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/236 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/243 प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/244 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) एफ.सं.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/234 जो दिनांक 4 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें दिनांक 17

फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/230 का शुद्धिपत्र शामिल है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (सात) से (दस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 23 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 71(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ.1729(अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पदार्थों, लवणों और उनकी सामग्रियों को विनिर्मित औषधियां घोषित किया गया है।

(तीन) का.आ.1730(अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अक्तूबर, 1992 की अधिसूचना संख्या का.आ.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(चार) का.आ.1731(अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ.1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (आचार्य श्री महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025 जो दिनांक 24 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.493(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (सम्राट राजेंद्र चोल-एक के नौसैनिक अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025 जो दिनांक 24 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.494(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) (एक) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2024-

2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उपधारा (3) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनिवार्य समापन जो दिनांक 27 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.आईआरडीएआई/आरआई/6/213/2025 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) योजना, 2025 जो दिनांक 28 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3470(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक साधारण (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 28 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओपी एवं एसपी/एसके/2025-26/04 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (बीसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 28 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 503(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) 2024-2025 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बाजार उधारी पर विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Respected Madam Chairperson, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (3) of Section 62 of the Biological Diversity Act, 2002:-

(i) The Biological Diversity (Access to Biological Resources and Knowledge Associated thereto and Fair and Equitable Sharing of Benefits), Regulations, 2025 published in Notification No. F.No. NBA/Tech/EC/9/14/32 in Gazette of India dated 30th April, 2025.

(ii) The Biological Diversity (Amendment) Rules, 2025 published in Notification No. G.S.R. 295(E) in Gazette of India dated 7th May, 2025.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Respected Madam Chairperson, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Lucknow, Lucknow, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English

versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology Lucknow, Lucknow, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Agartala, Agartala, for the year 2023-2024.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology Agartala, Agartala, for the year 2023-2024.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai, for the year 2023-2024.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Hindi, Agra, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Institute of Hindi, Agra, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by

the Government of the working of the Central Institute of Hindi, Agra, for the year 2023-2024.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Central Institute of Hindi, Agra, for the year 2023-2024.

(7) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for the year 2023-2024.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Rohtak, Rohtak, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Rohtak, Rohtak, for the year 2023-2024.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (10) above.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Sambalpur, Sambalpur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute

of Management Sambalpur, Sambalpur, for the year 2023-2024.

(13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

(14) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of the Section 43 of the Central Universities Act, 2009:-

(i) The Notification No. H.N.B.G.U./Academic/2025/113 published in Gazette of India dated 11th April, 2025 making ordinance, mentioned therein, for appointment, and other terms and conditions of Librarian in Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University.

(ii) The HNB Garhwal University Ordinances for Award of The Doctor of Philosophy (PH.D.) Degree published in Notification No. H.N.B.G.U./Academic/2025/114 in Gazette of India dated 11th April, 2025.

(iii) The Regulations Governing Self Financing Programme, 2023 published in Notification No. F.No. CUJ/Regulation/04/2010/Vol.II published in Gazette of India dated 27th February, 2025 relating to Central University of Jharkhand.

(iv) Notification No. CUPB/24/Ord./4063 published in Gazette of India dated 26th July, 2024 making amendments, mentioned therein, for Ordinances No. III, XXXIII and XXXIV relating to Central University of Punjab.

(v) Notification No. H.N.B.G.U./Academic/2025/115 published in Gazette of India dated 11th April, 2025 making amendments, mentioned therein, for Constitution, Quorum, Meetings, Power and Functions of the Examination Committee in Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Uttarakhand.

(15) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item Nos (iii) & (iv) of (14) above.

(16) A copy of the University Grants Commission (Minimum Standards of Instruction for the Grant of Undergraduate Degree and Postgraduate Degree) Regulations, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No.1-3/2021/QIP/Multiple Entry-Exit in Gazette of India dated 2nd April, 2025 together with a corrigendum thereto published in Notification No. 489 (in Hindi version only) dated 8th July, 2025 under Section 28 of the University Grants Commission Act, 1956.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Manipur, Imphal, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Manipur, Imphal, for the year 2023-2024.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

8th Report

1403 hours

SHRI ARUN GOVIL (MEERUT): Madam Chairperson, I rise to present the Eighth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs (Eighteenth Lok Sabha) on the subject ‘Evaluation of India’s Indian Ocean Strategy’.

STANDING COMMITTEE ON FINANCE

25th Report

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I rise to present the Twenty-fifth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance on the subject 'Evolving Role of Competition Commission of India in the Economy, particularly the Digital Landscape'.

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS

4th and 5th Reports

DR. C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): Madam Chairperson, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways (2024-25):-

(1) 4th Report on the subject 'Construction and maintenance of Rail tunnels and Bridges including Road Over Bridges/Road Under Bridges'.

(2) 5th Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Third Report of the Standing Committee on Railways (18th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' of the Ministry of Railways.

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES

6th to 9th Reports

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI (BALASORE): Madam Chairperson, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Water Resources:-

(1) Sixth Report on Action Taken by the Government on the Observations / Recommendations contained in the First Report on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Jal Shakti – Department of Drinking Water and Sanitation.

(2) Seventh Report on Action Taken by the Government on the Observations / Recommendations contained in the Second Report on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Jal Shakti – Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

(3) Eighth Report on Action Taken by the Government on the Observations / Recommendations contained in the Third Report on 'Demands for Grants

(2025-26)' of the Ministry of Jal Shakti – Department of Drinking Water and Sanitation.

(4) Ninth Report on Action Taken by the Government on the Observations / Recommendations contained in the Fourth Report on 'Demands for Grants (2025-26)' of the Ministry of Jal Shakti – Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

18th and 19th Reports

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Madam Chairperson, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj:-

(1) Eighteenth Report on 'Clean and Green Village: Role of Panchayats' pertaining to the Ministry of Panchayati Raj.

(2) Nineteenth Report on 'Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the 5th Report on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

9वां से 11वां प्रतिवेदन

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि (हाथरस) : सभापति महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(1405/SNL/RV)

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS

362nd Report

SHRI DARSHAN SINGH CHOUDHARY (HOSHANGABAD): Madam, with your kind permission, I rise to lay the 362nd Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the Three Hundred Fifty-sixth Report on 'Implementation of the National Education Policy, 2020 in Higher Education'.

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 46TH, 59TH AND 66TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON FINANCE - LAID

1406 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, on behalf of Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the following statements regarding: -

(1) status of implementation of the recommendations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Finance on 'Strengthening Credit Flows to the MSME Sector' pertaining to the Department of Financial Services, Ministry of Finance.

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 59th Report of the Standing Committee on Finance on 'Cyber Security and Rising Incidence of Cyber/White Collar Crimes' pertaining to the Department of Financial Services, Ministry of Finance.

(3) the status of implementation of the recommendations contained in the 66th Report of the Standing Committee on Finance on 'Performance Review and Regulation of Insurance Sector' pertaining to the Department of Financial Services, Ministry of Finance.

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 3RD and 10TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON FINANCE - LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI HARSH MALHOTRA): Madam, with your permission, I rise to lay the following statements regarding: -

1. the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2024-2025) pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.
2. the status of implementation of the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2025-2026) pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.

INCOME-TAX (NO.2) BILL

1408 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I rise to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to income-tax.

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर से संबंधित विधि को समेकित करने और उसका संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I introduce the Bill.

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

1409 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961 and to amend the Finance Act, 2025.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने और वित्त अधिनियम, 2025 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I introduce the Bill.

MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

1409 hours

THE MINISTER OF COAL; AND MINISTER OF MINES (SHRI G. KISHAN REDDY): Madam, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI G. KISHAN REDDY: Madam, I introduce the Bill.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री निशिकान्त जी, आपका नोटिस मिला है और माननीय अध्यक्ष जी के विचाराधीन है।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैडम, हमें इस पर कुछ बोलने दीजिए।... (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1410 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज जिन माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले के अनुमोदित पाठ को सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

Re: Need to impress upon the Government of Karnataka to implement Ayushman Bharat Scheme in the State

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): The Government of Karnataka has unilaterally withheld Ayushman Bharat benefits for senior citizens above 70 years of age by refusing to contribute its mandatory 40% share under the scheme. As a result, lakhs of elderly citizens in the state, many of whom depend on this scheme for life-saving treatments, are now being denied access to secondary and tertiary healthcare. This decision stands in stark contrast to the vision of Hon'ble Prime Minister who launched Ayushman Bharat with the aim of ensuring universal health coverage and financial protection for the poorest and most vulnerable. By stepping away from the scheme, the Karnataka Government is undermining a critical pillar of India's healthcare reforms and violating the principles of cooperative federalism. I urge the Union Government to take immediate and appropriate steps to ensure that the people of Karnataka, particularly senior citizens, are not denied their rightful access to healthcare under Ayushman Bharat, and to impress upon the State Government to fulfil its share of responsibilities under this flagship initiative. (ends)

Re: Need to expedite approval for establishment of a 50-bedded ESIC hospital in Kandhamal, Odisha along with upgrading the existing dispensaries in the district

SHRI SUKANTA KUMAR PANIGRAHI (KANDHAMAL): I rise to draw the august attention of this House to a matter of critical and compelling public concern. Kandhamal, an Aspirational District in Odisha with a population of nearly 11 lakh — over 50% from Scheduled Tribes — is witnessing increased formal employment in agro-processing, construction, and tribal enterprises. The district has over 8,000 ESIC-insured persons but lacks an ESI hospital. The only dispensary in Phulbani is under-equipped, and the nearest ESI hospitals are over 200 km away, severely affecting access to secondary care. As per ESIC norms, any district with more than 5,000 insured persons and no ESI hospital within 50 km qualifies for a 50-bedded ESI Hospital. Kandhamal also qualifies for priority under Ayushman Bharat, PM-ABHIM, and the Aspirational Districts Programme. I urge the Hon'ble Minister of Labour and Employment to expedite the sanction of a 50-bedded ESI Hospital in Kandhamal, upgrade the existing dispensary with telemedicine and diagnostics, and launch ESIC awareness drives. This will advance healthcare inclusion for underserved tribal populations and support the Government's vision of equitable social security.

(ends)

Re: Need to promote and establish 'Jaivik Haat' in every district and town in the country

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जो योजनाएँ चला रही है, वे निश्चित रूप से सराहनीय हैं। लेकिन जमीन पर हालात कुछ और कहते हैं। आज भी लाखों किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं, उन्हें अपने उत्पादों के लिए एक सुनिश्चित, स्थायी और लाभकारी बाज़ार नहीं मिल रहा। वे या तो बिचौलियों के हाथों कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं, या उनके उत्पाद लंबे समय तक बिना बिके रह जाते हैं। उपभोक्ता भी भ्रमित है। नागरिक शुद्ध और सुरक्षित भोजन चाहते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं कि सही और प्रमाणित जैविक उत्पाद मिलेंगे कहाँ से? किसान और उपभोक्ता—को जोड़ने का एकमात्र समाधान है: हर जिले, नगर में "जैविक हॉट मार्केट" की स्थापना। जो केवल प्रमाणित जैविक और प्राकृतिक उत्पादों के लिए हों। जहाँ किसान किसी बिचौलिए के, सीधे उपभोक्ता को अपना उत्पाद बेच सकें। जहाँ सरकार या उसकी अधिकृत संस्थाएं इन उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी दें। जहाँ उपभोक्ता को यह भरोसा हो कि जो वह खरीद रहा है, वह सच में जैविक है। मेरा सरकार से आग्रह है कि नीति निर्माण करते हुए, संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से इस "जैविक हॉट मार्केट" मॉडल को प्राथमिकता दी जाए।

(इति)

Re: Need to establish Indian Institute of Management in Gorakhpur, Uttar Pradesh

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : गोरखपुर यूपी के पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर है, गोरखपुर शिक्षा,व्यापार और पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है । पूर्वांचल और बिहार के लगभग 20 ज़िले अपने विभिन्न ज़रूरतों के लिए गोरखपुर पर निर्भर है । यहाँ रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है यहाँ एयरपोर्ट भी है । गोरखपुर और इसके आस पास के ज़िलों के छात्र बड़े मेधावी हैं । उनमें अपार संभावनाएँ हैं।वो प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन गोरखपुर में प्रबंधन संस्थान न होने के कारण उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर दलित और वंचित वर्ग के छात्र संसाधनों की कमी के कारण अपने सपने को अधूरा छोड़ देते हैं। गोरखपुर में एक (IIM) की स्थापना हो जाने से यहाँ के छात्र - छात्राओं को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा जिससे इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा। गोरखपुर में (IIM) की स्थापना के लिए जो भी सहायता चाहिए उसे राज्य सरकार उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM)की स्थापना करने की दिशा में तत्काल निर्णय लेकर इस क्षेत्र के भविष्य को सँवारने में महत्वपूर्ण योगदान देने की कृपा करे।

(इति)

Re: Need to include people belonging to 'Heri' community in the list of Scheduled Tribes/Scheduled Castes

श्री धर्मबीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : हेड़ी समाज (जो वर्तमान में कई स्थानों पर नायक जाति के नाम से जाना जाता है) की एक अहम और वर्षों से लंबित मांग को इस सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। यह समाज मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला भिवानी-चरखीदादरी-महेंद्रगढ़ सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों में निवास करता है, और आज़ादी के बाद से ही सामाजिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रतिनिधित्व से वंचित रहा है। इस समाज का न कोई IAS, न HCS अधिकारी है और न ही सरकारी तंत्र में समुचित भागीदारी। इस समुदाय ने आधुनिक पहचान के लिए "नायक" नाम अपना लिया, जिसकी वजह से उन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया गया। जबकि हरियाणा में यह समाज आजभी सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति वर्ग में भी सबसे कमजोर स्थिति में है। अतः इस समाज की यह मांग है कि इन्हें अनुसूचित-जनजाति (ST) वर्ग में सम्मिलित किया जाए, और यदि वह संभव न हो, तो कम से कम अनुसूचित-जाति (SC) वर्ग में पुनः शामिल किया जाए, ताकि उन्हें आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का उचित लाभ मिल सके। मेरा केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस समाज की पीड़ा को समझते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए।

(इति)

Re: Construction of ESIC hospital in Pandu Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh

श्री रमेश अवस्थी (कानपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र कानपुर के पांडुनगर में स्थित ई०एस०आई०सी० अस्पताल को कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में एक दन्त कालेज तथा ई०एस०आई०सी० अस्पताल के नवीनीकरण के लिए 254.80 करोड़ रुपये की धनराशी स्वीकृति कि गयी थी तथा वर्ष 2016 में तत्कालीन मा० मंत्री जी द्वारा 312 बेड के स्वीकृत अस्पताल का शिलान्यास भी किया जा चुका है परन्तु मंत्रालय, विभागीय अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों की आपसी सामाजस्य एवं उदासीनता के चलते उक्त अस्पताल का निर्माण आज तक अपूर्ण अवस्था में है जिसके कारण उसकी लागत वर्तमान स्थिति में निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि से लगभग दोगुना हो गयी है। केंद्र व प्रदेश सरकार की मंशा थी कि कानपुर व आसपास लगभग 10 जिलो की फैक्ट्रियों में हजारों की संख्या में जो कर्मचारी कार्यरत है उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी मंशा के साथ अस्पताल की आधारशिला रखी गयी थी परन्तु अभी तक केवल भवन का अपूर्ण ढांचा ही तैयार हो पाया है। मेरा श्रम एवं रोजगार मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त अस्पताल के सम्बन्ध में एक संयुक्त समिति का गठन करके स्थलीय निरिक्षण कराकर इसकी जांच करायी जाए।

(इति)

Re: Need to start construction of ropeway in Jalore Fort in Rajasthan and take measures for inclusion of the Fort in the list of UNESCO World Heritage Sites

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : जालोर का स्वर्णगिरि दुर्ग एक हजार साल का ऐतिहासिक वैभव समेटे हुए हैं। दुर्ग का निमार्ण 10वीं शताब्दी मे हुआ। इस दुर्ग से स्थापत्य कला का सौन्दर्य झलकता है। यह राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग की धरोहर है एवं वर्ष 1956 से संरक्षित स्मारक है। इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए करीब 2 हजार सीढ़ियां हैं। वर्ष 2017-18 में राजस्थान में विरासत परिपथ के विकास के लिए परियोजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा जालौर किले तक रोप-वे के निर्माण हेतु 8.82 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई थी। जिसमें से 7 करोड़ रुपए रोप-वे के निर्माण में व्यय किए जाने है। शेष राशि को पर्यटन सुविधा केंद्र धरातल पार्किंग, सीढ़ियों, रेलिंग, पेयजल, स्वच्छता, बैठने के लिए बेंच आदि पर व्यय किया जाना है। हालांकि उक्त कार्य की निधि के जारी होने की तिथि से अगले 18 महीने में पूरा किया जाना था लेकिन दुर्भाग्यवश 8 सालों का समय बीत जाने के बावजूद इस पर निर्माण कार्य आरंभ नही किया गया है। जालौर दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची मे शामिल करने तथा जल्द से जल्द रोप- वे का निमार्ण पूर्ण करवाने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Demarcation of boundary of Chambal Sanctuary along Chambal river in Fatehpur Sikri Parliamentary Constituency

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत आने वाली बाह विधान सभा के अंतर्गत चंबल नदी बहती है, जिसके साथ चंबल सेंचुरी स्थित है। इस क्षेत्र में चंबल सेंचुरी की सीमा कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर, तो कहीं 12 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में यही सीमा मात्र 500 मीटर निर्धारित है। चंबल सेंचुरी की इस असमान बाध्यता के कारण बाह विधान सभा क्षेत्र का समुचित विकास लंबे समय से अवरुद्ध है। क्षेत्र के दर्जनों बड़े गाँव आज भी सड़क, विद्यालय, चिकित्सालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कोई भी विकास कार्य चंबल सेंचुरी की विस्तृत सीमा के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। एक ही नदी और सेंचुरी के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मानक होना न केवल अनुचित है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के चंबल क्षेत्र के हज़ारों निवासियों के साथ अन्याय भी है। अत: सरकार से विनम्र आग्रह है कि जनहित में चंबल सेंचुरी की सीमा को चंबल नदी के मध्य से दोनों ओर अधिकतम 500 मीटर तक निर्धारित कराने की कृपा करें, जिससे किसान अपनी भूमि पर कृषि कर सकें, और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग व अन्य आधारभूत विकास कार्यों को गति मिल सके।

(इति)

Re: Construction and development of roads in Odisha

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : अटल जी की सरकार के समय ओड़िशा में राष्ट्रीय राजमार्ग को दोगुणा कर दिया गया था। पहले 1600 किलोमीटर था एक ही प्रयास में 3200 किलोमीटर कर दिया गया था। मोदी सरकार 2014 में आने के बाद फिर से राज्य में सड़क क्षेत्र में क्रांति लाई गयी है और अधिक ध्यान दिए जाने हेतु मैं प्रार्थना करता हूँ। अंगुल जिले के बड़केरा (BADAKERA) से भुवनेश्वर वाया आठगढ़ के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने हेतु 2015 में घोषणा की गयी थी, उसे अमल में लाने हेतु मैं प्रार्थना करता हूँ। बड़केरा से आठगड़ तक जाने के उपरांत बांये जाने से कटक आता है। उसी को पुराना 'कटक-संबलपुर' मार्ग कहा जाता है। उसके विकास के लिए भी मैं निवेदन करता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 55 अर्थात मुख्यतया 'कटक-संबलपुर' महामार्ग का फोर लेनिंग का काम और युद्धस्तर में समाप्त किया जाए। तालचर से अंगुल होते हुए हिंदोल एनएसी दे के नरसिंग पुर होते हुए बंदर नगरी (Port City) गोपालपुर तक एक राजमार्ग पुरानी परिकल्पना है उसमें कई राजमार्गों का हिस्सा आएगा। सबको संकलित करके कोल सिटी तालचर से पोर्ट सिटी गोपालपुर तक एक महामार्ग बनाए जाने हेतु मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग 55 के एक स्थान मशाणिआ (MASANIA) से क्योंझर जिले के नरणपुर (NARANPUR) तक एक राजमार्ग बनाए जाने का एक पुराना संकल्प है, उसे आगे बढ़ाए जाने हेतु भी मैं निवेदन करता हूँ।

(इति)

Re: Establishment of IIM and NIT in Mahabubnagar district headquarters, Telangana

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): I would like to bring to your kind notice regarding need to set up IIM and NIT in Mahabubnagar District Headquarters which falls in my Mahabubnagar Parliamentary Constituency in Telangana State. Indian Institutes of Management and National Institutes of Technology are premier management institutions in India, highly regarded for their rigorous management education, strong alumni network, and high placement rates and also play a crucial role in shaping India's business leadership and fostering a culture of innovation and excellence in management activities and its brand carries significant weight, opening doors to diverse career opportunities and offering a platform for professional growth to improve quality education, career opportunities with the skills and knowledge to secure better job opportunities, at the international level. My Parliamentary Constituency is nearer to Capital City of Hyderabad and is very much backward and the local people reminded me several times to ensure that establishment of IIM and also NIT in Mahabubnagar are very much useful to the people of entire Telangana State and there is plenty of land available for this purpose which will also help in achieving Viksit Rajya for Viksit Bharat-2047 as part of it. Therefore, I request the Hon'ble Minister of Education, through the Chair, to kindly consider the proposal to set up IIM and NIT in Mahabubnagar District Headquarters for which my Constituency people shall ever be grateful to you, Sir.

(ends)

Re: Need to restrict use of pesticides and promote bio-farming

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : आज के समय में अधिक उत्पादन की होड़ में हमारे अन्नदाता—किसान—खेतों में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों (पेस्टीसाइड्स) का प्रयोग कर रहे हैं। इससे एक ओर जहां फसलों की पैदावार में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर इन रसायनों के अवशेष हमारे भोजन में सम्मिलित होकर आम जनजीवन के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। कई वैज्ञानिक शोधों और रिपोर्टों में यह तथ्य सामने आया है कि इन कीटनाशकों के सेवन से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अतः मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु सख्त नीति बनाएँ तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु उचित एवं प्रभावी कदम उठाएँ। इससे न केवल हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, बल्कि निर्यात और घरेलू बाज़ार में जैविक उत्पादों की मांग से किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी।

(इति)

Re: Need for establishment of Regional Rapid Transit System (RRTS) Corridor in Bengaluru

SHRI P. C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): I rise to highlight the need for a RRTS corridor in and around Bengaluru, one of India's fastest-growing cities. Today, over 1.4 crore people live in Bengaluru, and nearly 15–20 lakh people travel daily from nearby towns like Tumakuru, Hosur, Kolar, Ramanagara, and Mandya. With a metropolitan population exceeding 1.4 crore and over 15–20 lakh daily commuters from towns like these Bengaluru remains underserved by high-speed regional transit. These areas depend on congested highways and overcrowded trains. These commuters spend 2–3 hours each way due to traffic and overcrowded trains. This causes loss of time, productivity, and pressure on Bengaluru's roads and housing. Despite contributing over ₹11 lakh crore annually to India's GDP, Bengaluru has no approved RRTS corridor, unlike the Delhi–Meerut line, which cut travel time to under 1 hour. I urge the Honourable Ministers of Housing & Urban Affairs and Railways to commission a pre-feasibility study and DPR for RRTS to Tumakuru, Hosur, Kolar, Ramanagara, Mandya; integrate it with metro, suburban rail, and STRR; provide central assistance under the National Infrastructure Pipeline; and Bengaluru deserves the same mobility priority as other Tier-1 regions. Let us not allow India's innovation capital to fall behind.

(ends)

Re: Need to facilitate States to participate and contribute in the process of development of National Quantum Mission

SHRI G. KUMAR NAIK (RAICHUR): I welcome the Centre's decision to invest in the National Quantum Mission. But, as the experience of the Semiconductor Program shows, India must now ensure better coordination and a clear roadmap to prevent stalled projects and shelved proposals. Despite ₹76,000 crore allocated, India is yet to commission a single commercial semiconductor fab, and clarity on job creation remains absent. Under the leadership of Hon'ble Chief Minister, Karnataka has already laid out a comprehensive vision. This includes not just infrastructure development, but the fostering of a robust scientific ecosystem. As India produces 91,000+ graduates annually in quantum-relevant fields second only to the EU, institutions like IISc and the state's thriving startup ecosystem offer a strong foundation. With this objective, Karnataka hosted a successful Quantum Technology Summit 2025, invited two Nobel Laureates, and announced a ₹1,000 crore Quantum Fund. Initiatives like a dedicated Quantum Research Park, Q-City, Fabline, and coursework in 20+ colleges are underway. Sir, India's deep-tech success hinges on cooperative federalism. I urge the Centre to treat states not merely as fund recipients, but as co-creators. The window of opportunity is open, but only for those ready to collaborate and act with conviction.

(ends)

Re: Compensation for land, rehabilitation and employment for displaced persons in lieu of land acquired by WCL

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) : WCL द्वारा कोयला खनन परियोजनाओं हेतु किए जा रहे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं मुआवजे की प्रक्रिया में उत्पन्न हो रही जमीनी समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। WCL द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया कोल बेयरिंग एक्ट 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत होती है, परंतु व्यवहार में प्रभावित किसानों को वर्षों तक मुआवजा नहीं मिलता। कोल बेयरिंग एक्ट, 1957, अधिसूचना की धारा 4, 7, 9 और 11 की जानकारी ग्राम स्तर पर सही तरीके से नहीं पहुँचाई जाती है, जिससे अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। कई बार 80% ज़मीन मालिकों की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, और रोजगार संबंधी फाइलें वर्षों तक लंबित रहती हैं। CMPDIL द्वारा किया गया सर्वेक्षण, खसरा विवरण, सिंचित-असिंचित ज़मीन की पहचान तथा मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय सीमा का अभाव है। क्लबिंग की प्रक्रिया के तहत अलग-अलग प्रकृति की ज़मीनों को एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे मुआवजा, पुनर्वास और नौकरी में असमानता आती है। किसानों को उनके गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी दी जाती है, जिससे बुजुर्गों और खेतों की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। WCL की पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जाए, और मुआवजा, पुनर्वास तथा रोजगार पारदर्शी, समयबद्ध और न्यायसंगत रूप से प्रदान किए जाएं। (इति)

Re: Need to establish AYUSH Medical College in the Employees State Insurance Corporation (ESIC) Hospital at Ezhukone, Kollam, Kerala

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I wish to draw the attention of the Government to the urgent need for establishing an AYUSH Medical College at the Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Hospital, Ezhukone, Kollam, Kerala. The ESIC Hospital at Ezhukone is a major healthcare facility with adequate land and infrastructure to support the establishment of a full-fledged AYUSH Medical College. Such an institution would not only promote education, training, and research in Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, and Homoeopathy but also strengthen the integration of traditional and modern healthcare systems in the region. This initiative would benefit thousands of patients, create employment opportunities, and position Kollam as a hub for AYUSH-based medical education in South Kerala. I urge the Government to take immediate steps, in coordination with the Ministry of AYUSH and the Ministry of Labour & Employment, to initiate the establishment of an AYUSH Medical College at ESIC Ezhukone, Kollam, utilising the existing infrastructure and resources.

(ends)

Re; Need to review decision to drop the proposed ROB at Level Crossing No. 367 between Madurai and Tirupparankundram in Tamil Nadu.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): I rise today to express my deep concern over the decision to drop the proposed Road Over Bridge (ROB) at Level Crossing No. 367 between Madurai and Tirupparankundram. This project, sanctioned under a cost-sharing arrangement with the Tamil Nadu Government, was critical for easing traffic and ensuring the safety of thousands of daily commuters. The justification given—that traffic can be diverted through an existing ROB cum subway located 700 meters away—is simply not practical. In a fast-growing urban region, such diversions only add to congestion, delays, and safety hazards. The public continues to face long waiting times and accidents at this unmanned crossing. Now, the state proposes a subway at the location, but the work is stuck through the railway authorities at the stage of preparing the Technical Feasibility Report and DPR. There is no clarity on timelines or commitment. This is unacceptable. I urge the Government to immediately allocate necessary funds, give the formal go-ahead, and treat this matter as urgent. The work must be taken up on a war footing to safeguard the interests of the public and to fulfil long-pending infrastructure needs. Let development not be derailed by delay and indecision.

(ends)

Re: Need for overbridge/underbridge and to remove accident-prone dark spots at the junction of Panipat-Khatima NH and Delhi-Yamunotri road near Balwa village in Shamli district, Uttar Pradesh

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान उत्तर प्रदेश के जिला शामली स्थित बलवा गांव के निकट पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग के जंक्शन पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मैंने लोकसभा में इस समस्या पर प्रश्न भी उठाया था, जिसके उत्तर में मंत्रालय ने स्वीकार किया कि इस राजमार्ग पर कई खतरनाक पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं। परंतु इन खतरनाक स्थलों को दुरुस्त करने की कोई ठोस कार्य योजना अब तक नहीं बनी है। बलवा गांव के पास यह जंक्शन अत्यंत दोषपूर्ण डिजाइन का है, जहां वाहन तेज गति से आते हैं और हाइवे के बीचोबीच टी शेप डिवाइडर स्थित है, जिससे बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं। यहां न तो ओवरब्रिज है और न ही अंडरपास, जिससे स्थानीय निवासियों को प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ती है। इन स्थितियों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और जन-धन की हानि हो रही है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि इन खतरनाक डार्क स्पॉट्स को शीघ्र हटाकर बलवा गांव के निकट स्थित इस जंक्शन पर ओवरब्रिज या अंडरपास निर्माण की तत्काल कार्य योजना बनाई जाए।

(इति)

Re: Need to increase employability and productivity in unorganized sector

श्री राजीव राय (घोसी) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए हाल ही में जारी किए गए अनिगमित उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 की तुलना में 2022-23 में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की संख्या में 1.5% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अनिगमित क्षेत्र में कार्य बल की कुल संख्या में लगभग 16.45 लाख की कमी आयी है यानी कार्य बल की संख्या वर्ष 2015-16 में 11.13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 में 10.96 करोड़ रह गई है। अकेले उत्तर प्रदेश में इन 8 वर्षों में कामगारों की संख्या में 8 करोड़ से अधिक की कमी आयी है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में भी स्थिति बेहतर नहीं है। गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र देश के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में 44 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है और गैर-कृषि उद्यमों में कार्यरत लगभग 75 प्रतिशत कार्य बल को रोजगार प्रदान करता है। इन गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमों के डेटा को महत्वपूर्ण रोजगार संकेत के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां रोजगार सृजन क्षमता और श्रम बल के नियोजन को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण मापदंड हैं।

अनिगमित उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट एक बहुत ही गंभीर आर्थिक परिदृश्य को उजागर करती है और यह सभी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। यह रिपोर्ट 7-8 साल बाद सामने आई है। हम विपक्षी दल बार-बार कहते रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट का सामना कर रही है और देश खतरनाक स्तर की बेरोजगारी का सामना कर रहा है। यह रिपोर्ट उसी बात की पुष्टि करती है जो हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं। यक्ष प्रश्न यह है कि यह कार्य बल कहां गया? जब पिछले कुछ वर्षों में काम काजी आयु वर्ग की आबादी में 20-25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तब असंगठित क्षेत्र में इस क्षेत्र द्वारा पैदा होने वाले रोजगारों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है। इस दुखद स्थिति के कारणों का अनुमान लगाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। वर्षों से दोषपूर्ण और अपरिपक्व आर्थिक नीतियां इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। वर्ष 2016 में अनुचित ढंग से की गई नोटबंदी और वर्ष 2017 में जल्दबाजी में लागू किए गए जीएसटी ने असंगठित क्षेत्रों की कमर तोड़ दी। कोविड-19 महामारी से स्थिति और भी बदतर हो गई। कोई सुधारात्मक कदम उठाने और इस क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के बजाय सरकार का ध्यान अमीरों को सहायता और लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है।

अब समय आ गया है कि सरकार इस पर ध्यान दे और हमारी अर्थ व्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में रोजगार क्षमता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए तंत्र तैयार करे। मैं सरकार से इस पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

(इति)

Re: Proposed cutting of trees by Damodar Valley Corporation

श्री कीर्ति आज़ाद (बर्धमान-दुर्गापुर) : मैं सरकार और संबंधित एजेंसियों का ध्यान एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) द्वारा अपनी विस्तार योजना के अंतर्गत 15,000 से अधिक पेड़ों की कटाई की तैयारी की जा रही है। इनमें से अधिकांश पेड़ 200 से 250 वर्ष पुराने हैं। ये वृक्ष न केवल जैव विविधता का आधार हैं, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ भी हैं। इस निर्णय से पर्यावरणीय संतुलन, वन्य जीवन और जलवायु को अपूर्णीय क्षति पहुँचने की आशंका है। आज विज्ञान और तकनीक से ऐसे पुराने वृक्षों को स्थानांतरित (Transplant) किया जा सकता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विकास योजनाओं में पर्यावरणीय संरक्षण सर्वोपरि होना चाहिए। इसके बावजूद, न तो DVC और न ही मंत्रालय ने पेड़ों को बचाने की दिशा में कोई ठोस वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की है। यह सीधा संकेत है कि विकास के नाम पर प्रकृति को बलि चढ़ाया जा रहा है। सरकार की यह उदासीनता न केवल असंवेदनशील है, बल्कि NGT के दिशानिर्देशों की भी अवहेलना करती है। मैं मांग करता हूँ कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई तत्काल रोकी जाए। पुराने वृक्षों को वैज्ञानिक विधि से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।

(इति)

Re: Alleged arrest of individuals for speaking 'Bengali' in Delhi

SHRIMATI JUNE MALIAH (MEDINIPUR): I wish to draw attention to a disturbing incident under FIR No. 51/2025 at Lodhi Colony Police Station, Delhi, where individuals were arrested for speaking in Bangla, which the Delhi Police inaccurately referred to as "Bangladeshi language." This is factually wrong and constitutionally offensive. Bangla is one of the 22 languages recognised in the Eighth Schedule to our Constitution. There is no such language as "Bangladeshi." This mischaracterisation reflects a serious lack of awareness and fosters discrimination against Bengali-speaking citizens. It violates Article 343 and disrespects our linguistic diversity. I urge the concerned Ministry to act immediately, correct the record, and sensitise authorities to prevent such incidents in future.

(ends)

Re: Need to exempt import duty on materials used in manufacturing of Agarvatti in the country

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): The Agarvatti industries located in Tirupathur under Tiruvannamalai Parliamentary Constituency is affected adversely due to high import duty and cumbersome rules and inadequate commercial facilities. Resultant is obstructing of agarvatti production, its export and employment generation capabilities in the region. Currently approximately more than 50000 workers are engaged in this agarvatti industry which produces 50 percent of total agarvatti production of the Country. To increase production, export of agarvatti and generate employment in the region, I request the Union Government to exempt the import duty on materials used in agarvatti manufacturing, liberalization and simplification of rules and legal provisions made in Acts effecting the agarvatti industries viz Consumer Protection Act (2019), Competition Act (2002), Legal Metrology Rules (2011) and MSMED Act (2006). I also request for setting up Customs Office at Jolarpettai Railway Junction for ease of doing business.

(ends)

Re: Need for establishment of Ekalavya Model Residential School (EMRS) in Palnadu district, Andhra Pradesh

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): I wish to draw the attention of this House to an urgent issue concerning the tribal communities of Palnadu district in Andhra Pradesh. A total of 28 Ekalavya Model Residential Schools (EMRS) have been sanctioned across the state. However, not a single EMRS has been allotted to the Palnadu region. As per Census 2011, Andhra Pradesh has a Scheduled Tribe population of over 14.11 lakh, and the Palnadu region, particularly Gurazala, Narasaraopet, and Sattenapalli have a tribal population exceeding 30,000. Despite this significant demographic, the region lacks access to quality residential education infrastructure like EMRS. The absence of such institutions severely hampers the educational outcomes and upward mobility of tribal children, especially girls. It forces many families to send children long distances for school or drop out entirely. I urge the Ministry of Tribal Affairs to consider the genuine need of this underserved region and sanction an Ekalavya Model Residential School for Palnadu district at the earliest. This would go a long way in addressing regional disparities and promoting inclusive development in education.

(ends)

Re: Need to start operation of flight services from Sabeya Airport in Gopalganj district, Bihar

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : सबेया (हथुआ) एयरपोर्ट RCS-UDAN में शामिल है। यह 473 एकड़ में है जिसमें से 280 एकड़ भूमि खाली है। मेरे सांसद फंड से एयरपोर्ट की पिलरिंग हुई है। रक्षा सम्पदा विभाग, दानापुर ने पक्की बाउंड्री एवं फेंसिंग के लिए 4 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति के बाद बाउंड्री एवं फेंसिंग का कार्य चालू किया है। इस एयरपोर्ट के रनवे की लम्बाई 167 मीटर है तथा केवल गोपालगंज-सिवान जिले से सर्वाधिक संख्या में (लगभग 1.5 से 2 लाख) लोग खाड़ी देशों (विदेशों) में नौकरी करते हैं। गोपालगंज जिले में विदेशी मुद्रा का आगमन देश के अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है एवं बिहार में प्रथम है। इस एयरपोर्ट के चालू होने से गोपालगंज एवं आसपास के लगभग 5 जिलों का त्वरित विकास होगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा नेपाल से नजदीक होने के कारण इसका विशेष महत्व है। सबेया एयरपोर्ट पर कमर्शियल वायबिलिटी के साथ-साथ ट्रैफिक डिमांड भी है। 5 बिडिंग राउंड्स तक कोई भी एयरलाइन ऑपरेटर्स सबेया एयरपोर्ट से उड़ान के लिए बिडिंग राउंड्स में शामिल नहीं हुए हैं इसके साथ साथ टर्मिनल बिल्डिंग डिज़ाइन का काम भी ज़रूरी है। अत: नागर विमानन मंत्री जी से निवेदन है कि सबेया एयरफील्ड हथुआ रुट पर ऑपरेशनल एक्टिविटी शुरू करने के लिए बिडिंग राउंड्स में एयरलाइन ऑपरेटर्स आमंत्रित किये जाएँ ताकि सबेया एयरपोर्ट का Revival हो सके। (इति)

Re: Need for a comprehensive action plan to address drug menace in the country especially in Nashik district, Maharashtra

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): I would like to bring to attention of the Government the growing problem of drug addiction among youth, especially in Nashik district, which has become a serious social and law enforcement challenge. According to NCRB data, over 73,000 cases were registered under the NDPS Act As per latest available NCRB data for 2022, marking a 14% rise from the previous year. Maharashtra alone recorded over 9,000 such cases, and cities like Nashik are increasingly becoming vulnerable to organized drug networks. In May 2025, Nashik city police registered 60 NDPS cases, arrested 129 persons, and seized drugs worth ₹87 lakh, including 737 g MD, 292 kg ganja, and 326 kg bhang. Simultaneously, Nashik rural police conducted a special drive leading to 29 arrests and seizure of drugs including 36 kg ganja and 8,610 alprazolam tablets worth ₹8.5 lakh. These figures indicate a disturbing trend of drug trafficking targeting young students through local peddlers and social media, threatening future of our youth. I urge the Government to launch a comprehensive national action plan to disrupt drug trafficking networks; strengthen coordination between local police, NCB, and cybercrime units; and establish more de-addiction and mental health centres, especially in Nashik District. (ends)

Re: Need for comprehensive legislation to control online gaming and gambling

DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): I stand to highlight a critical public issue with tragic consequences: the devastating impact of online gaming addiction. On June 15, 2025, in Dharashiv district, a 29 year old person, tragically poisoned his 22-year-old wife and 2-year-old son before taking his own life. Investigations confirm that the offender accrued over ₹20 lakh in debt from online Rummy, a burden that remained even after selling significant assets. The Dharashiv Superintendent of Police attributes this tragedy to financial stress and gambling addiction-induced depression. This is not an anomaly. It's the second online gaming-related suicide/murder in Dharashiv this year. Additionally, Maharashtra has seen 12 financial fraud cases in Navi Mumbai and Nashik Rural, and 97 illegal gambling offenses, showcasing the problem's widespread nature. Smartphone accessibility, celebrity endorsements, and "quick riches" lures fuel this addiction, especially among youth. It causes financial ruin, severe mental health issues, and suicidal tendencies, devastating families. Maharashtra's current IT Rules 2021 regulatory framework is clearly insufficient. I urge the Government to immediately introduce robust legislation to regulate online gambling and gaming, implement stricter advertising controls, and enhance mental health support and public awareness campaigns to protect our citizens from this insidious threat.

(ends)

Re: Need to take comprehensive measures to safeguard the interest of aqua farmers in Andhra Pradesh in view of situation after imposition of tariff by USA

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): I wish to draw the attention to the severe crisis faced by prawn (royal variety) farmers in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh exports nearly 70% of its prawn yield to the United States, with Tirupati district alone contributing about 1.25 lakh tonnes annually from over 28,000 acres. However, the recent imposition of a 25% import duty by the U.S. Government has disrupted exports, causing a steep price crash of ₹230 per quintal within 48 hours and financial losses of ₹50,000 to ₹80,000 per tonne. The abrupt halt in U.S. imports has left farmers unable to recover even production costs, pushing many into unmanageable debt. The crisis is further aggravated by the lack of cold storage facilities, forcing distress sales. While traders are exploring alternate markets in China and local processing units, these have not provided adequate support. I urge the Government to intervene urgently with price stabilization measures, establishment of cold storage infrastructure, and efforts to secure alternate export markets to safeguard the livelihoods of thousands of aqua farmers in the region.

(ends)

Re: Need for an inclusive Education System in the country

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): I wish to raise serious concerns regarding the current state of our education system. There is a growing loss of credibility in our education, with a clear decline in academic standards and lack of critical thinking and creativity among students.

The shortage of teachers in both schools and colleges is affecting learning outcomes. There is a wide skill gap, and many students are not employable after completing their studies. Another worrying trend is the politicisation of academic regulatory bodies, which is harming the independence and quality of education. The change of textbooks, modification of history, and community based teaching methods are undermining our constitutional values and weakening the spirit of scientific and inclusive education. There is also increasing inequality in access to quality education, further marginalising vulnerable sections of society.

I urge the Government to take urgent steps to address these issues, protect academic freedom, and ensure that our education system remains inclusive, unbiased, and future-ready.

(ends)

Re: Need for approval to the Project – Eco-Restoration of Vembanad wetlands-Environment friendly approaches for Flood and Salinity management in Kuttanad, Kerala

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): I wish to raise the urgent matter concerning the ecological degradation and agricultural distress in Kuttanad, Kerala – the "Rice Bowl" of the State, spread over 48,000 hectares and producing nearly 1.96 lakh tonnes of rice annually. Kuttanad, a unique low-lying ecosystem reclaimed from the Vembanad lake basin, has suffered severe losses due to unprecedented rainfall, massive flooding, and large-scale land reclamation. More than one-third of its water-spread area has disappeared, severely impacting ecosystem services, threatening food production, and endangering livelihoods. The situation calls for immediate intervention through the proposed "Eco-Restoration of Vembanad Wetlands – Environment-Friendly Approaches for Flood and Salinity Management in Kuttanad." This includes restoring the water-spread area, improving estuarine environments, managing floods and salinity, and rehabilitating canals and waterways. I urge the Union Government to accord priority approval to this proposal, extend technical and financial support, and work with the State Government to safeguard this critical agricultural and ecological heritage.

(ends)

(1410/MY/SMN)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय): माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 17 और 18 एक साथ लिए जा रहे हैं- राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025

माननीय मंत्री जी।

राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक
और
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक

1410 बजे

श्रम और रोजगार मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया): सभापति महोदया, मैं प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं:

> "कि खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचलन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालिंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित विधिक मानकों का उपबंध करने और एक एकीकृत, साम्यपूर्ण और प्रभावी रीति से खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान का उपबंध करने और उससे संबंद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

> "कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति महोदया, आज मैं महत्वपूर्ण बिल नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और इसके साथ ही नेशनल एंटी डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल पर अपना विषय रखना चाहूंगा।

सभापति महोदया, स्पोर्ट्स बिल एक महत्वपूर्ण बिल है। मोदी जी ने स्पोर्ट्स सैक्टर में जो रिफॉर्म किया है, वह रिफॉर्म्स के सीक्वेंस का एक पार्ट है। वैसे भी स्पोर्ट्स हमारे देश के लिए कोई नया विषय नहीं है। स्पोर्ट्स इस देश में सदियों से प्रचलित है। आज देश में 65 परसेंट पॉपुलेशन बिलो 35 है। आज यूथ हमारी स्ट्रेंग्थ है, यूथ हमारी शक्ति है। हमारा यूथ स्पोर्ट्स सैक्टर में बेस्ट परफॉर्मेंस करें, अपने स्पोर्ट्स के स्किल के आधार पर देश और इंटरनेनशल लेवल पर मेडल्स अर्जित करें। हमारे देश के युवाओं में यह क्षमता है कि वे हमारे देश के तिरंगे का गौरव बढ़ाएं।

सभापति महोदया, सदियों पहले देश में युद्ध के रूप में भी स्पोर्ट्स प्रचलित था। हमारे देश में गद्दा युद्ध, मल्ल युद्ध और आर्चरी यानी धनुर्विद्या प्रचलित थी और इन सब विषयों में हमारी पारंगतता थी, लेकिन बाद में ये धीरे-धीरे उपेक्षित होती रहीं। आजादी के बाद स्पोर्ट्स सैक्टर पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया गया। हमारा इतना बड़ा देश है, लेकिन आलंपिक गेम्स में या इंटरनेशनल टूर्नामेंट के प्लेटफॉर्म्स पर हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए।

सभापति महोदया, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2014 से स्पोर्ट्स सेक्टर में रिफॉर्म्स चालू किये। यह बदलाव के सीक्वेंस का एक पार्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है। प्रधानमंत्री जी ने देश में स्पोर्ट्स के लिए एक इको सिस्टम तैयार किया है। इसके लिए 'खेलो इंडिया' की मूवमेंट चालू की गई, 'फिट इंडिया' की मूवमेंट चालू की गई। आज देश में

डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक हजार से अधिक यानी एक डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक स्थानों पर 'खेलो इंडिया' सेंटर खुला हुआ है। वहां युवाओं को ट्रेनिंग मिल रही है। वहां एथलीट को ट्रेनिंग दी जा रही है। आज हमारे एथलीट अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करता है, उसके लिए खर्च की व्यवस्था की जाती है। हमारे खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की ऑप्र्चुनिटी मिले, उनको अच्छे कोच मिले, उनको अच्छा एक्स्पोजर मिले, इसके लिए टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम की भी व्यवस्था की गई है, ताकि हम अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार कर सकें।

सभापति महोदया, इसी सीक्वेंस का एक तीसरा पार्ट 'खेलो भारत नीति' है। लास्ट एक महीना पहले आपने देखा होगा कि 'खेलो भारत नीति' लॉन्च की गई और कैबिनेट ने उसे पारित किया। सारे देश में स्पोर्ट्स फ्रेटरनिटी से जुड़े हुए लोगों ने उसकी प्रशंसा की। 'खेलो भारत नीति' के तहत हम आगामी 25 सालों में आगे बढ़ेंगे। आज हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 25 सालों में हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, स्पोर्ट्स साइंस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, मेडल टैली को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए इको सिस्टम कैसी होगी, इस विषय पर एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में 'खेलो भारत नीति' की आज पूरे देश में सराहना हो रही है। इसी सीक्वेंस का एक पार्ट स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के लिए कई बार प्रयास किये गये। इसके लिए भूत काल में भी प्रयास हुआ और अभी वर्तमान समय में भी प्रयास जारी है। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वर्ल्ड क्लास बेस्ट एक्सीलेंस के साथ तैयारी करनी चाहिए। भारत आने वाले दिनों में ओलंपिक के लिए बिड करने जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत में स्पोर्ट्स इको सिस्टम रोबोस्ट हो, दुरुस्त हो, पारदर्शी हो, एकाउंटबिलिटी वाली हो, उस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

(1415/MLC/RP)

जब ओलंपिक्स की बात आती है, स्पोर्ट्स की बात आती है, तब इंटरनेशनल सैक्टर भी उसके साथ जुड़ जाता है। ओलंपिक काउंसिल भी उसके साथ जुड़ जाती है। ओलंपिक चार्टर के मुताबिक देश में भी हमारी रीति-नीति कार्य प्रणाली बने, यह बहुत आवश्यक होता है। इसलिए ओलंपिक चार्टर को एलाइन करना भी हमारे लिए जरूरी होता है। उसके लिए भूतकाल में भी कई बार प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। वर्ष 1975 में पहली बार देश में एक गाइडलाइन तैयार की गई। इस गाइडलाइन के मुताबिक देश में स्पोर्ट्स का गवर्नेंस कराया जाए। वर्ष 1985 में पहली बार स्पोर्ट्स के बिल के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन इस देश में स्पोर्ट्स को भी पॉलिटिक्स का क्षेत्र चुन लिया है। वह पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता गया। कई लोगों का उसमें हित शामिल था। मेरे जैसा कोई मंत्री प्रयास करता था, लेकिन वह मंत्री स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को लेकर आगे नहीं आ पाता था। वर्ष 1985 में पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया। वर्ष 2011 में एक स्पोर्ट्स कोड बनाया गया, बिल नहीं आया। इस स्पोर्ट्स कोर्ड के बाद वर्ष 2011 में फिर से एक बार ड्राफ्ट स्पोर्ट्स बिल तैयार कराया गया, जो वर्ष 2011 में कैबिनेट तक पहुँचा था। लेकिन कैबिनेट तक पहुँचे उसके पहले ही उसके ऊपर डिबेट हो गई, इंटरनल डिबेट हो गई और उस वक्त की सरकार उसको कैबिनेट में भी

नहीं ला पाई थी। वर्ष 2013 में अजय माकन जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने प्रयास किया, मेहनत की, डिबेट की, डिस्कशन की और उन्होंने समझा कि कैसे भी करके हमें स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाना चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्टस पर्सन के हित में, स्पोर्ट्स फेडरेशन के हित में बिल लाना चाहिए ताकि अच्छी तरह से गवर्नमेंट, फेडरेशन, एथलीट्स आदि सब साथ में मिलकर देश में स्पोर्ट्स इको सिस्टम को तैयार कर सकें। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने प्रयास किया। कैबिनेट तक आया, कैबिनेट में डिस्कशन हुआ, लेकिन डिस्कशन होने के बाद वहां से डैफर हो गया, वह पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाया था।

मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्तमान समय में मोदी गवर्नमेंट है। मोदी जी की इच्छाशक्ति के आधार पर, मोदी जी ने तय किया कि रिफॉर्म्स सीक्वेन्स में आने चाहिए। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बाद दस साल तक देश के स्पोर्ट्स का विज़न और वर्ष 2047 यानी दस साल तक हमें दुनिया में दसवें क्रम तक स्पोर्ट्स सैक्टर में पहुँचना है। आने वाले 25 साल यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब हमें दुनिया में एक से पाचवें क्रम में होना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीक्वेंस रिफॉर्म्स के पार्ट के रूप में यह बिल आज आपके सामने लाया गया है। वर्तमान समय में जो स्थिति पैदा हुई है, आज छोटे-छोटे विषय के लिए गुड गवर्नेंस का प्रयास किया जाता है, लेकिन मैटर कोर्ट तक चला जाता है। देश में 350 से अधिक मामले कोर्ट में पड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स फेडरेशन के इलेक्शन में स्पोर्ट्स फेडरेशन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है और कई ऐसे विषय हैं, जो छोटी-छोटी बात में स्पोर्ट्स के हित को प्रायोरिटी में रखने के बजाय अपने हितों को आगे करते हैं, स्पोर्ट्स पीछे छूट जाता है और मैडल टैली में हम पीछे रह जाते हैं। हमारे एथलीट्स, हमारी महिला एथलीट्स को अच्छी तरह से, पारदर्शिता के साथ काम्प्टीशन में पार्टिसिपेशन करने का अवसर मिले। उस जगह पर उनको परेशानी न हो। हमारी महिलाओं को भी फेडरेशन में भी प्रतिनिधित्व मिले ताकि फेडरेशन में किसी महिला एथलीट को कोई दिक्कत हो तो उसकी सुनवाई करने वाली भी हमारी इसी फेडरेशन की एथिक्स कमेटी में बैठने वाली महिला हो। यह करना बहुत आवश्यक था। यह बिल जब हमने तैयार किया, तब हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया। हमने यह डिस्कशन सारे फेडरेशन के साथ किया। हमने डिस्कशन सभी राज्यों के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स के साथ किया। जब हम बिल तैयार कर रहे थे, एक साल तक लंबा डिस्कशन हुआ। हमने एथलीट्स के साथ बैठकर इस पर डिस्कशन किया। हमने देश के कोच, जो रिनाउंड कोच हैं, उनके साथ मीटिंग की, उनके साथ भी डिस्कशन किया।

(1420/GG/RTU)

इंटरनेशनल ओलंपिक्स काउंसिल के साथ अलाइन, उसके चार्टर को फॉलो करना था। उसके साथ भी हमने बहुत डिस्कशन किया। इंटरनेशन फेडरेशन के साथ भी हमने डिस्कशन किया। अंत में, मैंने तीन-साढ़े तीन घंटों तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स के साथ भी डिस्कशन और डिबेट किया। उसके बाद इस बिल को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भी रखा गया।

पब्लिक कंसल्टेशन के दरम्यान छह सौ से अधिक कमेंट्स आए। इन कमेंट्स का भी हमने अध्ययन किया। यह सारी डिबेट और डिस्कशन कर के एक रोबस्ट बिल, जो एथलीट के हित में हो, फेडरेशन के हित में हो, पारदर्शिता के हित में हो, लाया गया है। इसके माध्यम से फेडरेशन की स्वायत्ता बनी रहे, गुड गवर्नेंस हो, उस उद्देश्य के साथ यह बिल आज सदन के सामने मैं लाया हूँ।

सभापति जी, उसके अलावा आज नेशनल एंटी-डोपिंग बिल भी लाया जा रहा है। देश में हम एक अच्छी स्पोर्ट्स कंट्री के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तब इंटरनेशनल एजेंसीज़, यानी कि वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी के सिग्नेटरी होने के नाते, इसके माध्यम से, उसके साथ एलाइन करना आवश्यक होता है। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, विषय बदलता है। समय, परिस्थिति और विषयों के साथ जब वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी नए-नए नियम बनाती है, उसको एलाइन करना आवश्यक होता है। एलाइन करने के लिए हम नेशनल एंटी-डोपिंग बिल में अमेंडमेंट भी ले कर आए हैं। दोनों बिलों पर सदन विचार करे और उसको पारित करे, यही अपेक्षा है।

महोदया, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सम्मानित सदस्यों के सामने यह विषय रखें।

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

> "कि खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचलन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालिंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित विधिक मानकों का उपबंध करने और एक एकीकृत, साम्यपूर्ण और प्रभावी रीति से खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान का उपबंध करने और उससे संबंद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

> "कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

1422 hours

SHRI KESINENI SIVANATH (VIJAYAWADA): Thank You Madam. I am honoured to speak on the National Sports Governance Bill, 2025. Being the representative of the people of Vijayawada and the President of Andhra Cricket Association, it is with great pride that I support this important Bill. This landmark legislation, under the visionary leadership of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the dedicated efforts of our hon. Minister of Youth Affairs and Sports Shri Mansukh Mandaviya ji, will help India to move towards becoming a true sports nation. This Bill along with the new Khelo Bharat Niti 2025, is a bold and inclusive plan that aims to make sports a part of daily life, encourage sports start-ups, and promote participation from the grassroots, especially in villages, among women, and economically weaker sections. To build up on this momentum and create a future defined by transparency, fairness, and excellence, the National Sports Governance Bill, 2025, is a timely legislation. This Bill addresses long-standing issues that have affected Indian sports such as mismanagement and internal power struggles.

1423 hours

(At this stage, Shri Shafi Parambil, Shri Akshay Yadav and some other hon. Members came and stood near the Table)

A key feature of this Bill is the establishment of a National Sports Board. This institute will have the authority to recognize, monitor, and if necessary, suspend or cancel the recognition of sports federations. … (*Interruptions*) They will ensure accountability by maintaining detailed records and investigating any misuse of public funds. The Bill also introduces a National Sports Election Panel to guarantee free and fair elections in all sports bodies. These bodies will be required to adopt a strict Code of Ethics. … (*Interruptions*) These steps will prevent undue influence, improve internal functioning, and protect the integrity of sports administration. Equally important is the focus on athlete protection and welfare. This Bill mandates a Safe Sports Policy ensuring the safety of women and minors. Every recognised sports body will be required to set up an internal grievance redressal system to address the concerns. … (*Interruptions*)

One of the most progressive provisions in the Bill is the creation of a National Sports Tribunal headed by a former Supreme Court Judge and High Court judges. … (*Interruptions*) This independent body will deal exclusively with sports-related issues. It will offer faster, more affordable, and expert resolution.

(1425/UB/YSH)

The BCCI is one such sporting body that is already following the principles mentioned in the Bill. I am proud to be a member of this organisation which stands as a strong example for other sporting bodies in the country. The BCCI runs independently, is financially self-sufficient, and operates through its own resources without Government support. By building necessary sports infrastructure, the BCCI has brought many talented cricketers from rural areas. It is appreciable that the Government, through this Bill, has exempted such self-sustaining sports federations from the purview of the RTI Act.

Under the visionary leadership of hon. CM, Shri N. Chandrababu Naidu, the Government is actively focusing on the development of sports. During his regime as a Chief Minister of united Andhra Pradesh, he provided stadiums and multiple training academies, and even hosted the Afro-Asian Games which made Hyderabad one of the sports hubs of India.

Presently, my State has announced one of the best sports policies in the country, under which there is a three per cent horizontal reservation in Government jobs for sportspersons. The Government offers one of the highest financial rewards in the country for national and international medallists.

In addition, our hon. Chief Minister has ambitious plans to develop a world-class sports city in Amaravati which will make Andhra Pradesh a national hub for sports by 2029. In addition to this important Sports Governance Bill, I would like to thank the hon. Prime Minister for the ‘Khelo India Scheme’. I believe that under the Scheme, we should focus on Tier-II and Tier-III cities, where there is immense untapped sports talent. For instance, my constituency of Vijayawada has proudly conducted several national tournaments and is also conducting tournaments. Therefore, I humbly request the Central Government to approve the proposal submitted under the ‘Khelo India Scheme’ in Tier-II and Tier-III cities.

Talking about grassroots and rural sports development, I would like to highlight the vision of our young, dynamic, and forward-thinking leader, Shri Nara Lokesh *Garu*, who is ensuring that every Government school has a playground and conducts annual sports events.

I conclude by urging this House to pass this Bill and give our youth the environment, resources, and opportunities they truly deserve. Let sports lead the way to a stronger, united, and healthier India.

(ends)

1428 बजे

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदया, मैं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 के समर्थन में यहां पर अपनी बात रख रहा हूँ। विपक्ष पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर संसद को लगातार बाधित करता आ रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखकर जिस तरह से अनैतिक रास्ते पर चलने का काम विपक्ष कर रहा है, उसकी मैं सबसे पहले कड़ी निंदा करता हूँ।

सभापति महोदया, मैं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं देश के विजनरी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने वर्ष 2014 से लेकर अब तक दुनिया में भारत के खिलाड़ी आगे बढ़ सकें, उसके लिए नई खेल नीति के तहत 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया मूवमेंट' का संकल्प युवाओं को दिया है। आज उसी का परिणाम है कि इस ऐतिहासिक सदन में इस विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक के तहत सभी खेल निकायों को एक कानून के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे खेल निकायों में व्याप्त अराजकता, जवाबदेही की कमी और प्रशासक असमानता को दूर कर एक सशक्त पारदर्शी और खिलाड़ियों के अनुकूल तंत्र स्थापित किया जा सके।

सभापति महोदया, मैं प्रधान मंत्री जी को एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वर्ष 2018 में देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित किया था, जिससे देश के खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात मिली थी। आज उसी का परिणाम है कि ओलम्पिक के हमारे बहुत से खिलाड़ी विश्व में अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

सभापति महोदया, मैं विधेयक के प्रमुख सकारात्मक पहलुओं के बारे में अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। पारदर्शी और उत्तरदायी खेल प्रशासन की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन से सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता मिलेगी और वित्तीय पारदर्शिता और कार्य प्रणाली के लिए एक केन्द्रीकृत स्वायत्त और पेशेवर संस्थागत ढाँचा तैयार होगा। क्रिकेट सहित सभी खेल संघों की समान जवाबदेही सुनिश्चित करना – बीसीसीआई जैसे शक्तिशाली निकायों को भी विधेयक के अंतर्गत लाकर शासन व्यवस्था में समानता का सिद्धांत स्थापित किया गया है।

(1430/STS/NKL)

खेल प्राधिकारण के माध्यम से शीघ्र विवाद समाधान, खिलाड़ियों, कोचों और संघों के बीच विवादों का निपटारा, त्वरित, निष्पक्ष और विशेषज्ञता आधारित तरीके से होगा। चुनाव पैनल की स्थापना द्वारा संघों के चुनाव में निष्पक्षता आएगी। ... (व्यवधान) खेल संघों के चुनाव जुटबाजी और वंशवाद से मुक्त होकर निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकेंगे। खिलाड़ियों की सुरक्षा एवं कल्याण की दिशा में पहल, यौन उत्पीड़न, भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न आदि को रोकने के लिए आचार संहिता जैसी व्यवस्थाएं इस विधेयक में शामिल की गयी हैं। ... (व्यवधान) आरटीआई के दायरे में लाकर सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, संघों की कार्यवाही, वित्तीय खर्च और निर्णय लेने की प्रक्रिया अब सार्वजनिक जांच के दायरे में आएगी।... (व्यवधान) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विधायी संरचना विधेयक को आईओसी और फीफा जैसे निकायों के मानकों से सामंजस्य रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे भारत की वैश्विक साख को बढ़ावा मिलेगा। ... (व्यवधान) भारतीय खेल प्रणाली में संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही

और प्रशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी पहल है। यह विधेयक भारत को वैश्विक खेल मंच पर एक नैतिक, सक्षम और सशक्त नेतृत्व देने की नींव रखेगा। ... (व्यवधान)

इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होगा, राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन होगा और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय खेल महासंघ की पुनर्संरचना की जाएगी। ये सभी निकाय अपनी-अपनी अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित होंगे। यदि कोई टकराव की स्थिति बनती है, तो केंद्र सरकार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगी। ... (व्यवधान) प्रत्येक निकाय में अधिकतम 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति होगी, जिसमें कम-से-कम 2 खिलाड़ी प्रतिनिधि व 4 महिलाएं अनिवार्य होंगी। कार्यकारी समिति के सदस्यों की आयु सीमा 25 से 75 वर्ष तथा इनका कार्यकाल अधिकतम तीन बार का होगा। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों पर केवल विशिष्ट खिलाड़ी या पूर्व पदाधिकारी ही नियुक्त किए जा सकेंगे, ऐसे प्रावधान इस विधेयक में किये गये हैं। ... (व्यवधान)

राष्ट्रीय खेल बोर्ड और एनएसएफएस को मान्यता देने, निलंबित करने, संचालन निगरानी, तथा धन के दुरुपयोग, खिलाड़ी कल्याण व प्रशासनिक शिकायतों की जांच का दायित्व अब राष्ट्रीय खेल बोर्ड को दिया जाएगा। ... (व्यवधान) आवश्यकता पड़ने पर यह बोर्ड एड-हॉक प्रशासनिक समिति का भी गठन कर सकती है। एनएसबी में अध्यक्ष सहित विभिन्न खेल व प्रशासनिक विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा गठित चयन समति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। यह बोर्ड मार्गदर्शक संस्था के रूप में कार्य करेगा, न कि पूर्ण नियंत्रक के रूप में। ... (व्यवधान)

राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण-खेल संबंधी विवादों के शीघ्र निपटारे हेतु एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। ... (व्यवधान) दो अन्य सदस्य खेल, कानून व प्रशासन के विशेषज्ञ होंगे। चयन समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव व खेल सचिव शामिल होंगे। यह न्यायाधिकारण चुनाव व चयन संबंधी विवाद, एनएसएफएस की आंतरिक प्रशासनिक समस्याओं के विवादों की सुनवाई करेगा। डोपिंग, अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में आईओसी विवाद इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे। ... (व्यवधान) न्यायाधिकारण के दायरे वाले मामलों में सिविल कोर्ट का अधिकार नहीं होगा। अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट या अंतराष्ट्रीय निकायों मैं जैसा स्विट्जरलैंड में है, उस तरह की व्यवस्था की जाएगी। ... (व्यवधान)

बीसीसीआई को एनएसबी से मान्यता लेनी होगी और आरटीआई कानून के तहत लाया जाएगा। इसके सभी प्रशासनिक व चयन संबंधी विवाद एनएसटी के अंतर्गत आएंगे। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशें जैसे कार्यकाल आदि को भी शामिल किया गया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 2011 से मैंने ''सांसद खेल ट्रॉफी'' का आयोजन करना शुरू किया था, जिसके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सभी सांसदों को यह जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने अपने लोक सभा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स और खेल स्टेडियम बनाये हैं। बड़ी संख्या में खिलाड़ी खेलने आते हैं, लेकिन प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र मेरे संसदीय क्षेत्र, सतना में खोला जाए। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। ... (व्यवधान)

(इति)

(1435/MM/VR)

1435 बजे

श्रम और रोजगार मंत्री; तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) : सभापति महोदया, नेशनल स्पोर्ट्स बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पर सम्माननीय दो सदस्यों श्री केसिनेनी शिवनाथ और गणेश सिंह जी ने अपनी बात रखी है।... (व्यवधान) मैंने भी विस्तृत रूप से इस बिल से होने वाले फायदे और हमारे देश में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में इसका क्या महत्व रहेगा, इस बारे में मैंने विस्तृत बयान दिया है। ... (व्यवधान)

महोदया, यह बिल सिंगल बिगेस्ट रिफोर्म इन स्पोर्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस होगा। इस बिल से स्पोर्ट्स को ग्राउण्ड से ग्लोरी तक ले जाने का सपना हमारे देश का है, जो साकार होगा।... (व्यवधान) इस बिल अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म पक्का होगा। इस बिल से हमारे देश की महिलाओं को ओपोर्च्यूनिटी मिलेगी। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल से हमारे देश के एथलीट को न्याय मिलेगा। खेलों के क्षेत्र में अच्छा गवर्नेंस होगा। हमारे देश के स्पोर्ट्स इको सिस्टम में यह बिल बहुत महत्व और मायने रखेगा। ... (व्यवधान)

इसी तरह से एंटी डोपिंग बिल भी बहुत महत्वपूर्ण बिल है। एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल में जो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी है, उन्होंने दो-तीन रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं। ... (व्यवधान) उन रिफॉर्म्स के मुताबिक हमारा देश एंटी डोपिंग मूवमेंट को सपोर्ट करता है और पारदर्शिता और स्वायत्ता के साथ एंटी डोपिंग एजेंसी काम कर पाए।... (व्यवधान) इन दो विषयों पर हम अमेंडमेंट लाए हैं। इन दोनों अमेंडमेंट्स से एक अच्छी एंटी डोपिंग मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। देश के एथलीट्स में यह अवेयरनेस का काम कर पाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के एथलीट्स को अच्छी ओपोरच्यूनिटी मिलेगी।... (व्यवधान)

महोदया, मैं चाहता था कि इस बिल पर डिटैल मे डिसक्शन हो, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ... (व्यवधान) कांग्रेस के समय में केबिनेट तक पहुंचा हुआ बिल है। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्स का इतना महत्वपूर्ण बिल, आजादी के बाद स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म के लिए है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी सहयोग नहीं कर रहे हैं।... (व्यवधान) मैं कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन मैं सभी सम्मानित सदस्यों से रिक्वैस्ट करता हूं कि सर्वानूमति से दोनों बिलों को पारित किया जाए।... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचलन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालिंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोतम प्रथाओं और स्थापित विधिक मानकों का उपबंध करने और एक एकीकृत, साम्यपूर्ण और प्रभावी रीति से खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान का उपबंध करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, श्री पुष्पेंद्र सरोज, श्री अमरा राम, श्री बैन्नी बहनन और श्री डी.एन. कोरियाकोस ने संशोधन दिए हैं। क्या वे अपने-अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? नहीं! तो मैं माननीय मंत्री जी के संशोधन ही सभा के निर्णय के लिए लूंगी और खंडों को भी यथासंभव एक साथ ही सभा के निर्णय के लिए ले रही हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

Clause 4

Amendments made:

Page 5, *omit* lines 28 to 36. (24)

Page 5, line 37,-

for "(*c*)"

substitute "(*b*)". (25)

Page 5, line 39,-

for "(*d*)"

substitute "(*c*)". (26)

Page 5, line 40,-

for "(*e*)"

substitute "(*d*)". (27)

Page 6, line 1,-

for "(*f*)"

substitute "(*e*)". (28)

Page 6, *after* line 2,-

insert "Provided that a person shall not be qualified to contest for election or seek nomination to the posts of the President or the Secretary General or the Treasurer, unless such person is a sportsperson of outstanding merit or, has previously served as a member for at least one full term in the Executive Committee of the National Sports Body or as the President, or the Secretary-General or the Treasurer in its affiliate unit:

Provided further that a person may continuously hold the position of either the President or the Secretary General or the Treasurer, as the case may be, for up to three consecutive terms separately, or in combination thereof and shall be eligible for election to such posts or to the Executive Committee after a mandatory cooling off period of one term.". (29)

(Dr. Mansukh Mandaviya)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बनें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 5 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

… (<u>व्यवधान</u>)

Clause 8

Amendments made:

Page 7, line 28,-

after "1860"

insert "or under the Societies Registration Act of a State". (30)

Page 7, line 31,-

after "1882"

insert "or under the Trusts Act of a State". (31)

(Dr. Mansukh Mandaviya)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 8, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

(1440/MK/PBT)

Clause 14

Amendments made:

Page 10, line 30,-

for "**14.**"

substitute "**14.** (*1*)". (32)

Page 10, *after* line 31,-

insert "(*2*) A recognised sports organisation, receiving grants or any other financial assistance from the Central Government under sub-section (*1*) or from a State Government, shall be considered as a public authority under the Right to Information Act, 2005, with respect to utilisation of such grants or any

other financial assistance." (33)

(Dr. Mansukh Mandaviya)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 14, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 15

Amendments made:

Page 10, line 32,-

for "**15** (*1*)."

substitute "**15.**". (34)

Page 10, *omit* lines 39 to 41. (35)

(Dr. Mansukh Mandaviya)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 15, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

डॉ. मनसुख मांडविया: मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए। "

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-18.

प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री बैन्नी बेहनन, श्री के. राधाकृष्णन, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं या नहीं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले रही हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

डॉ. मनसुख मांडविया: मैं प्रस्ताव करता हूं:

" कि विधेयक पारित किया जाए। "

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1444 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोलह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1600/ALK/SNT)

1600 बजे

लोक सभा सोलह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

… (व्यवधान)

1600 बजे

(इस समय श्री अभय कुमार सिन्हा, डॉ. अमर सिंह, श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 18ए और 18बी लिए जाएंगे।

माननीय वित्त मंत्री जी।

… (व्यवधान)

INCOME-TAX (NO. 2) BILL

1601 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I rise to move:

> "That the Bill to consolidate and amend the law relating to income-tax, be taken into consideration."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि आय-कर से संबंधित विधि को समेकित करने और उसका संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

> "कि खंड 2 से 536 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 536 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची I से XVI विधेयक में जोड़ दी गईं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : संशोधन संख्या 1, माननीय वित्त मंत्री जी.

Clause 1

Amendment made:

Page 1, line 5,-

omit "(No.2)". (1)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I rise to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर, 18बी.

… (व्यवधान)

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

1603 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I rise to move:

"That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961 and to amend the Finance Act, 2025, be taken into consideration."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने और वित्त अधिनियम, 2025 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I rise to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

(1605/VPN/SK)

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

1605 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha: -

(i) “In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Manipur Appropriation (No.2) Bill, 2025, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7th August, 2025 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) “In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7th August, 2025 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.”

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय): सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1605 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 12 अगस्त 2025 / 21 श्रावण 1947 (शक)</u>
<u>के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>